आलेख-5

संख्या-582/24-पी-3-2023-2828/2022

प्रेषक,

महेश कुमार गुप्ता,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

ऊर्जा अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनांक 24 मार्च, 2023**

विषय : उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेंन्टिंग पालिसी-2022 के पैरा-4.6(b) के अनुसार लाइसेंसी यूटीलिटी से बिजली की खरीद पर, वाणिज्य उत्पादन शुरू होने की तारीख से 5 साल के प्रति बिल यूनिट (किलोवाट) के लिए 2.00 रू0 की सब्सिडी प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग अनुभाग के पत्र संख्या-13/2022/1233/63-व0उ0-2022-17(एच)/2022, दिनांक 17.10.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग पालिसी-2022 का प्रख्यापन किया गया है, जिसका प्रस्तर-6(b) में निम्नवत् है:-

लाइसेन्सी यूटीलिटी से बिजली की खरीद पर, वाणिज्य उत्पादन शुरू होने की तारीख से 5 साल के लिये प्रति बिल यूनिट (किलोवाट) के लिए 2.00 रू0 की सब्सिडी प्रदान की जायेगी, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति वर्ष प्रति इकाई रू0 60 लाख तक होगी। शर्त यह है कि बिजली खरीद पर छूट प्राप्त करने वाली इकाइयों के द्वारा कम से कम 50 व्यक्तियों को सुनिश्चित रोजगार प्रदान किया जायेगा। अपने स्वयं के कैप्टिव पावर प्लांट से खपत की गई बिजली या ओपेन एक्सेस के माध्यम से खरीदी गई बिजली पावर टैरिफ सब्सिडी के लिए पात्र नहीं होगी।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लाइसेन्सी यूटीलिटी से बिजली की खरीद पर, वाणिज्य उत्पादन शुरू होने की तारीख से 5 साल के लिए प्रति बिल यूनिट (किलोवाट) के लिए 2.00 रू0 की सब्सिडी प्रदान किये जाने की दशा में छूट की धनराशि की प्रतिपूर्ति हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग द्वारा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को की जायेगी। अतः आपसे अनुरोध है कि छूट की धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने पर अपनी सहमति उपलब्ध कराने का कष्ट करें, तदोपरान्त ही 5 साल के लिए प्रति बिल यूनिट (किलोवाट) के लिये 2.00 की सब्सिडी (छूट) प्रदान किये जाने के संबंध में आदेश निर्गत किया जा सकेगा।

भवदीय

(महेश कुमार गुप्ता)
अपर मुख्य सचिव।

mycomputer/d:drive.mm/letter-4

[redacted] [redacted]

आलेख-4

संख्या-581 /24-पी-3-2023-2828/2022

प्रेषक,

महेश कुमार गुप्ता,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनांक 24 मार्च, 2023**

विषय : उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेंन्टिंग पालिसी-2022 के पैरा-4.6(e) के अनुसार एक निर्दिष्ट सीमा से अधिक बिजली की खपत करने वाली इकाइयॉ, जो स्वतंत्र फीडर की सुविधा रखती हैं, चाहें उनके द्वारा भुगतान किया गया हो या नहीं, यथासंभव विद्युत कटौती के अधीन नहीं हैं। ऐसे स्वतंत्रफीडर से कोई अन्य भार नहीं जोड़े जाने के संबंध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेंन्टिंग पालिसी-2022 के पैरा-4.6(e) में निम्नवत् उपबंध किया गया है :-

(e) "यह सुनिश्चित किया जायेगा कि एक निर्दिष्ट सीमा से अधिक बिजली की खपत करने वाली इकाईयॉ जो स्वतंत्र फीडर की सुविधा रखती हैं, चाहे उनके द्वारा भुगतान किया गया हो या नहीं, यथासंभव विद्युत कटौती के अधीन नहीं हैं। ऐसे स्वतंत्र फीडर से कोई अन्य भार नहीं जोड़ा जायेगा।"

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेंन्टिंग पालिसी-2022 के पैरा-4.6(e) के अन्तर्गत यह निर्णय लिया गया है कि एक निर्दिष्ट सीमा से अधिक विद्युत के स्वीकृत भार वाली इकाईयों को स्वतंत्र फीडर की सुविधा प्रदान की जा सकती है। इस हेतु आवश्यक व्यय का वहन संबंधित इकाई द्वारा अथवा हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग द्वारा किया जाना होगा। ऐसे स्वतंत्र फीडरों से अन्य कोई भार संयोजित नहीं किया जायेगा। विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित विद्युत दरों के अनुसार विद्युत खपत का भुगतान करना होगा तथा इकाईयों को भुगतान न करने की स्थिति में विद्युत कटौती से मुक्त रखना संभव नहीं होगा।

कृपया उक्त प्राविधानों के आलोक में अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

(महेश कुमार गुप्ता)
अपर मुख्य सचिव।

mycomputer/d:drive.mm/letter-4

संख्या /24-पी-3-2023 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित् :-

(1) महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद ।

(2) अपर मुख्य सचिव, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग उ0प्र0 शासन।

(2) सचिव, विद्युत नियामक आयोग, उ०प्र० लखनऊ।

(3) अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन,लखनऊ ।

(4) प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ / उ०प्र० जल विद्युत निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0 लखनऊ /पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ /दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा एवं कानपुर विद्युत सप्लाई कम्पनी लि० (केस्को). कानपुर।

(5) कार्यवाहक निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उ०प्र०, गोमतीनगर, लखनऊ ।

(6) हथकरघा वस्त्रोद्योग अनुभाग ।

(7) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सर्वेश कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव।